

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(11)खा.वि./स्था.प्र./विविध/2013

जयपुर, दिनांक 07.07.2017

आदेश

जिलों में पदस्थापित जिला रसद अधिकारियों/प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन निरीक्षकों के अवकाशकाल के दौरान लिंक अधिकारी होंगे :-

क्रमांक	पदनाम	लिंक अधिकारी
1	जिला रसद अधिकारी (प्रथम)	जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)
2	जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)	जिला रसद अधिकारी (प्रथम)
3	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर के निर्देशानुसार
4	प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निरीक्षक
5	प्रवर्तन निरीक्षक	प्रवर्तन अधिकारी

निर्देशानुसार जिलों में पदस्थापित जिला रसद अधिकारियों के अवकाश पर रहने पर जिला कलक्टर द्वारा जिले में पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को जिला रसद अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया जावेगा। साथ ही जिलों में पदस्थापित जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला कलक्टर से स्वीकृति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा स्वीकृति विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। साथ ही जिला रसद अधिकारी अवकाशकाल के लिये लिंक अधिकारी को अपना पूर्ण कार्यभार संभलाकर जावें, जिससे राजकार्य में बाधा उत्पन्न ना हो।

(पी. रमेश)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांक एफ 2(11)खा.वि./स्था.प्र./विविध/2013

जयपुर, दिनांक 07.07.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 5 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 6 समस्त विभागीय अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
- 7 उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- 8 महाप्रबन्धक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर।
- 9 समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके जिले में पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन निरीक्षकों भी उक्त आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
- 10 विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 11 रक्षा पत्रिका।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त